मेधा लेखा, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र की ग्राम सभा द्वारा अपने स्वयं के लघु वनोंपज का प्रबंधन

मेधा लेखा गोंड जनजाति का एक छोटी सा गाँव है। गाँववाले स्थानीय प्रशासन की एक अनूठी प्रणाली अभ्यास करते हैं। इसके अपने कानून, नियम और विनियम हैं। गाँव और इसके विकास के सं बंध में सभी निर्णय ग्राम सभा में सर्वसम्मति से लिये जाते है। गाँव ने 26 अप्रैल 2011 को एक इतिहास रचा जब इसकी ग्राम सभा को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के लिए राज्य के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री के हाथों से बांस के संग्रह और निपटान का अधिकार प्रदान किया गया। वन अधिकार अधिनियम, 2006, समुदायों को उन वनों के प्रबंधन, रक्षा, और जंगल को पुनर्जी वित करने और खुद के लिए उपयोग करने तथा लघु वनोपजों के निपटान का अधिकार प्रदान करता है, जिसका वे परंपरागत रूप से उपयोग किया करते थे। इसमें बेचने का अधिकार भी शामिल है। लेकिन निवासियों को, बाहरी लोगों को बांस बेचने की अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि राज्य का वन विभाग इसके लिए ट्रांजिट पास जारी नहीं करता। गाँव 15 से अधिक वर्षों से 2 वर्ग किमी जंगल का प्रबंध करता रहा है। उन्होंने अनुसू चित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत 18 वर्ग किमी के पूरे गाँव के वन क्षेत्र में समुदाय के अधिकारों के लिए आवेदन किया और उसे प्राप्त भी किया है।
*(*स्रोत:*http://www.ceecec.net/case-studies/mendha-lekha-using-self-governance-toachieve-ecological-prosperity-and-livelihood-security)*

महाराष्ट्र जनजातीय उप–योजना धन का 5% ग्राम पंचायत के माध्यम से सीधे ग्राम सभा को प्रदान करता है

महाराष्ट्र सरकार ने स्थानीय मुद्दों (बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं शिक्षा, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण) पर सूचित निर्णय लेने के लिए आदिवासी समुदायों के लिए सीधे –जनजातीय उप–योजना धन का 5% (258.5 करोड़ रुपये) प्रदान किया है। यह निधि ग्राम पंचायत की जनसंख्या के आधार पर सीधे ग्राम पंचायतों को सीधे हस्तानांतरित की जाती है और ग्राम पंचायत इसे ग्राम सभा कोष में हस्तानांतरित करती है।